भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *323

(11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

वीबी-जी राम-जी का वित्तीय ढांचा

***323. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः**

श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के स्थान पर प्रभावी रूप से नया विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन (वीबी-जी राम-जी) लाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में अस्पष्टता के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने वीबी-जी राम-जी के वित्तीय ढांचे के संबंध में कई राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो राज्यों की आपत्तियों की अनदेखी किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत पूर्व के प्रावधानों की तुलना में, वीबी-जी राम-जी के अंतर्गत 40 प्रतिशत तक वित्तीय भार को राज्यों पर अंतरित किए जाने का ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वीबी-जी राम-जी को शुरू करने से पहले राज्यों, संसदीय स्थायी समिति या हितधारकों के साथ कोई औपचारिक परामर्श किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत गारंटीकृत सांविधिक "काम के अधिकार" को नई योजना के अंतर्गत कमजोर कर दिया गया है और यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोकसभा में दिनांक 11.08.2026 को दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *323 के भाग (क) से (ङ) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, वीबी-जी राम जी योजना को को पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जुलाई, 2026 से सफलतापूर्वक लागू किया गया है और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को उसी तारीख से निरस्त कर दिया गया है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस योजना को अधिसूचित किया है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इच्छुक परिवारों को रोजगार प्रदान करके वीबी जी राम जी के तहत कार्य शुरू कर दिए हैं। मनरेगा से वीबी- जी राम जी में परिवर्तन सुगम, निर्बाध और श्रमिक केंद्रित हो गया है। वीबी जी राम जी अधिनियम के लागू होने के एक महीने के भीतर लगभग 9.69 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत उपलब्ध सौ दिन की गारंटी रोजगार की तुलना में वीबी-जी राम जी प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वस्यक सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हो, को एक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों की मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है। नई योजना में संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के माध्यम से अन्य केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों के साथ अभिसरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण बुनियादी ढांचे, आजीविका संबंधित बुनियादी ढांचे और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं को कम करने पर जोर देने के साथ-साथ अनुमेय कार्यों की एक विस्तारित सूची भी प्रदान की गई है।

(ख) और (ग): मंत्रालय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए नियमित समीक्षा बैठकों, परामर्शों और अन्य उपयुक्त मंचों के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है। मंत्रालय द्वारा विभिन्न समीक्षा बैठकों और लिखित पत्राचार के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए सुझावों और उठाई गई चिंताओं को विधिवत नोट किया गया है।

अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (2) के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर) के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण पद्धति 90:10 होगा और विधायिका वाले अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 होगा।

यहां, यह उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक रूप से, देश में अधिकांश प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच साझा वित्त पोषण मॉडल के आधार पर संचालित की गई हैं। इसके अलावा, वर्तमान में सभी क्षेत्रों में लगभग सभी केंद्र प्रायोजित योजनाएं

(सीएसएस) 60:40 साझाकरण मॉडल पर लागू की जा रही हैं। इसलिए इस अधिनियम के तहत अपनाया गई 60:40 पद्धति केंद्र प्रायोजित योजनाओं के व्यापक ढांचे के अनुरूप है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 (01.07.2026 से 31.03.2027 तक की अवधि के लिए), विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) के लिए केंद्रीय अंश के रूप में 95,692.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो देश में बजट अनुमान चरण में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक किए गए सबसे बड़े आवंटनों में से एक है। संबंधित अनुमानित राज्य अंश को शामिल करते हुए कुल कार्यक्रम परिव्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण कायाकल्प, बडे पैमाने पर रोजगार सृजन और आय वृद्धि में काफी तेजी आने की उम्मीद है। तदनुसार, इस योजना के तहत विभिन्न घटकों के लिए पहली किस्त के रूप में 25,844.97 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी पहले ही जारी की जा चुकी है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उनसे संबंधित अंश के लिए तदनुसार बजट प्रावधान किए गए हैं।

समग्र रूप से, वित्त पोषण पद्धति को राजकोषीय जिम्मेदारी, राज्य की भागीदारी और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(घ): राज्यों, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों, विशेषज्ञों आदि जैसे महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ आयोजित विभिन्न समीक्षा बैठकों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न परिचालन कमियां देखे गए।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी माननीय स्थायी समिति ने अपनी विभिन्न बैठकों में काम के अनुमत दिनों की संख्या में वृद्धि, मजदूरी दरों में संशोधन, पारदर्शिता को सुदृढ़ करने, तकनीकी और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के संबंध में भी सिफारिशें की थी।

इन सभी सुझावों, प्रतिक्रियाओं और मार्गदर्शन पर वीबी-जी राम जी आधीनियम बनाते समय विधिवत विचार किया गया।

(ङ): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 मजदूरी रोजगार की अधिकार -आधारित और मांग आधारित प्रकृति को बरकरार रखता है और इसे सुदृढ़ करता है। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक हो, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की बढ़ी हुई वैधानिक गारंटी प्रदान करता है।
